न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (Drugs & Cosmetics), खगड़िया।
विशेष अग्रिम जमानत आवेदन सं0–20/2026
परिवाद वाद–पत्र सं0–03C2/25

श्री मो0 एहतेशाम आलम – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (Drugs & Cosmetics),
खगड़िया।

13.03.2026

आवेदक/अभियुक्त–**श्री मो0 एहतेशाम आलम** की ओर से परिवाद वाद–पत्र सं0–03C2/25, धारा–18(C), 18(A), 27(b)(ii) एवं 28 Drugs and Cosmetics Act, 1940 के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, दाखिल विशेष अग्रिम जमानत आवेदन, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री आजाद ठाकुर के द्वारा संचालित किया गया।

विशेष अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसके विरूद्ध धारा–18(सी), 18(ए), 27(बी)(ii), 28 औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत संज्ञान लिया गया है। कथित छापेमारी के समय अभियुक्त दुकान पर मौजूद नहीं था। संपूर्ण अभियोजन मामला कथित तौर पर दवा लाइसेंस प्रस्तुत न करने और दुकान में रखी कुछ दवाओं की जब्ती पर आधारित है। आवेदक के विरूद्ध नकली, मिलावटी या गलत लेबलवाली दवाओं का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब्ती ज्ञापन (फॉर्म–16) से यह प्रतीत होता है कि रासायनिक विश्लेषण के लिए कोई नमूना नहीं लिया गया था, जो अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा–27(बी)(ii) के तहत निर्धारित अधिकतम सजा तीन साल और जुर्माने तक हो सकती है और अपराध में हिंसा या नैतिक पतन का कोई तत्त्व शामिल नहीं है। आवेदक एक ग्रामीण चिकित्सक है और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में वैध रूप से कार्यरत है। अपने पेशे एवं कर्तव्यों के दौरान, कुछ दवाएं केवल गांव के रोगियों के उपचार के उद्देश्य से उसके पास रखी जाती

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (Drugs & Cosmetics), खगड़िया।
विशेष अग्रिम जमानत आवेदन सं0–20/2026
परिवाद वाद–पत्र सं0–03C2/25

लगातार
13.03.2026

थीं। आवेदक/अभियुक्त के पास चिकित्सा अभ्यास करने के लिए आवश्यक योग्यता डिग्री है और इसे पहले ही रिकॉर्ड में मौजूद परिवाद वाद–पत्र के साथ संलग्न किया जा चुका है। उसके कब्जे से बरामद दवाएं न तो प्रतिबंधित थीं और न ही किसी अवैध उद्देश्य के लिए रखी गई थीं, बल्कि केवल वास्तविक चिकित्सा सेवा के लिए थीं। इस प्रकार, दवाओं के अवैध कब्जे का आरोप निराधार, भ्रामक और खारिज किए जाने योग्य है। कथित घटना में इन आवेदक की कोई भागीदारी नहीं है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं और फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को विशेष अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

अभियोगी के द्वारा अपने अभियोग–पत्र में अभिकथित किया गया है कि वह अपने अन्य कर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बलों के साथ मिलकर दिनांक 30.07.2025 को अपराह्न 01:30 बजे अभियुक्त श्री मो0 एहतेशाम के द्वारा संचालित बिना औषधि अनुज्ञप्ति वाली दवा की दुकान पर छापा मारा। छापे के दौरान वहाँ अभियुक्त मौजूद नहीं था। छापा मारनेवाली टीम ने रैक पर रखी दवाइयों को जब्त कर लिया, जिसका विवरण प्रपत्र–16 में दिया गया है तथा जब्ती सूची तैयार कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया।

विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक के द्वारा विशेष अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के आलोक में अभियोग पत्र में वर्णित अभियुक्त मो0 एहतेशाम आलम (आवेदक) के विरूद्ध Drugs and Cosmetics की धारा–18(C), 18(A), 27(b)(ii) एवं 28 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता पाकर अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है, इसलिए साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। छापामारी/जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, आवेदक निरीक्षण के दौरान

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (Drugs & Cosmetics), खगड़िया।
विशेष अग्रिम जमानत आवेदन सं0–20/2026
परिवाद वाद–पत्र सं0–03C2/25

लगातार
13.03.2026

अनुपस्थित था। विशेष अग्रिम जमानत आवेदन के पारा–3 के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ऐसी दशा में उसे Cost के साथ अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **आवेदक/अभियुक्त को मो0–1,000/–(एक हजार) रूपये Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ,** उसे आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर, न्यायालय में आत्मसर्मपण करने अथवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर, अन्तर्गत धारा–482(ii) BNSS के तहत निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्या0 (Drugs & Cosmetics),
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	13.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	
Uploading Date	16.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar (P.C.O)